न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/2056/2002/भरतपुर

1– मु0 चम्पा बेवा रामजीलाल जाति गोला निवासी गांव पिथूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर (मृतक)

2– दरबासिंह

3– समन्दर

4– श्रीराम

पिसरान रामजीलाल जाति गोला निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

5– गुड्डी पुत्री रामजीलाल जाति गोला निवासी गांव गोलपुरा, तहसील व जिला भरतपुर।

6– लालकौर बेवा कल्लन (मृतक)

7– रामकिशोर पुत्र कल्लन

8– हरिओम पुत्र कल्लन

समस्त जातिगण गोला निवासीगण ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

–अपीलांटस

बनाम

1– सुखा पुत्र राधे जाति गोला निवासी पिथूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर (मृतक जरिए वारिसान)

1/1– देवीसिंह

1/2– मदनसिंह पुत्र सुखा मृतक जरिए वारिसानः–

1/2/1– सुरेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह

1/2/2– हरभानसिंह पुत्र मदनसिंह

1/2/3– कु0 लज्जावती पुत्री मदनसिंह

1/2/4– श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी मदनसिंह जाति गोला निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1/3– चन्दरसिंह

1/4– रामदुलारी

1/5– सुक्को

1/6– माया

1/7– रामकली

पुत्रियां सुखा जाति गोला निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1/8– रामदेई बेवा सुखा (मृतक)जाति गोला निवासी पिथूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

2– रामा पुत्र राधे मृतक जरिए वारिसानः–

2/1– कुन्दन पुत्र रामा मृतक जरिए वारिसानः–

2/1/1– दौलतसिंह पुत्र कुन्दन

2/1/2– मिथला पुत्री कुन्दन

2/1/3– हरदेई पुत्री कुन्दन

2/2– राजेन्द्र पुत्र रामा

2/3– साहबसिंह पुत्र रामा

2/4– किशना पुत्री रामा पत्नी मोहरसिंह जाति गोला निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर।

2/5– सुशीला पुत्री रामा पत्नी भगवानसिंह जाति गोला निवासी ग्राम पोस्ट कठौल तहसील पहाड़ी जिला डीग।

2/6– गीता पुत्री रामा पत्नी शिब्बो जाति गोला निवासी ग्राम खरिका पोस्ट एक्टा खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

3– लालाराम पुत्र राधे मृतक जरिए वारिसानः–

3/1– रामकिशन पुत्र लालाराम

3/2– बलराम पुत्र लालाराम

3/3– रामबाबू पुत्र लालाराम

3/4– दीपलिया पत्नी लालाराम

3/5– निर्मला देवी पुत्री लालाराम पत्नी मांगेलाल

समस्त 3/1 ता 3/5 जाति गोला निवासीगण काडियावास पोस्ट घडी हरसरू तहसील फरक नगर जिला गुरूग्राम, हरियाणा।

3/6– मछला पुत्री लालाराम पत्नी जगदीश जाति गोला निवासी डहरा तहसील कुम्हेर जिला डीग।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता अपीलांटस।

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः— 19.05.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 118/93 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस एवं वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 मृतक रामा व रेस्पो0 संख्या 3 मृतक लालाराम/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 463 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 472 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व 2301 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाकै ग्राम पिथूना तहसील रूपवास में स्थित है जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज राधे की छोड़ी हुई कृषि भूमि है। राधे की मृत्यु के बाद यह भूमि विरासतन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त हुई है जिसमें वादी संख्या 1, 1/5, वादी संख्या 2, 1/5 भाग, वादीगण संख्या 3 लगायत 7 बहिस्सा बराबर 1/5 भाग, वादी संख्या 7 लगायत 10 बहिस्सा बराबर 1/5 भाग के व प्रतिवादी संख्या 1, 1/5 भाग के भागीदार व सहखातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से के मुताबिक मौके पर काश्त करते व काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 परिवार में बड़ा था तथा वादीगण व प्रतिवादी सुखा के पिता की मृत्यु के समय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 शामिल शरीक काश्त करते रहे हैं। प्रतिवादी सुखा परिवार का कर्ता खानदान एवं सबमें बड़ा रहा है। अतः प्रतिवादी सुखा ने काश्त का इन्द्राज खातेदारी अपने नाम कानून व मौके के विरूद्ध उक्त भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया है, जो विधिविरूद्ध व गलत है। अतः उक्त इन्द्राज निरस्त किया जाकर उपरोक्तानुसार इन्द्राज किए जाने तथा उक्त भूमि

खण्ड का विभाजन किए जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया तथा वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.04.1993 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार प्रारंभिक डिक्री पारित की। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 मृतक सुखा द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष पेश की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2002 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री को निरस्त करने के आदेश पारित किए । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि सजरा जिसका हवाला विचारण न्यायालय के सामने पेश किया, जिससे विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होना पूर्णतया साबित है। सुखा के मरने पर नाम कायमी समय पर नहीं हुई, अपील अबेट हो चुकी थी, फिर भी वारिसान को रिकार्ड पर ले दावे को डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। संवत् 2012 के पूर्व से विवादग्रस्त भूमि राधे के कब्जे काश्त की थी उसके सभी वारिसान होने से वे बंटवारे के हकदार है, उक्त बिन्दु को अपीलीय न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि सहकृषक के विरूद्ध मुखालपाना कब्जा लागू नहीं होता है न सेटलमेंट वालों को प्रतिवादी के हक में इन्द्राज करने का हक था। खसरा गिरदावरी संवत् 2010–17 में राधे के कब्जे का स्पष्ट उल्लेख विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय के निर्णय में भी है, फिर भी उक्त बिन्दु को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किए जाने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया है लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त निर्णय को

बदलने के बाद भी तनकीवार निर्णय नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2002 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.1993 को यथावत् रखा जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी रेस्पो0 की खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी है। अपीलांटस/वादीगण ने बदनियती से झूठा दावा दायर कर विवादित आराजियात बाबत् डिक्री पारित करवाई है जबकि अपीलांटस यहां गांव नहीं रहते है बल्कि वह गोलपुरा में रहते हैं। संवत् 2007–11 की जमाबंदी में राधे शिकमी काश्तकार था, राधे ने अपने जीवनकाल में ही कब्जा छोड़ दिया तो रेस्पो0 ने काश्त कर ली। तत्समय ही जमींदारी उन्मूलन कानून आ गया । वक्त जमींदारी उन्मूलन एक्ट के लागू होने पर कब्जा रेस्पो0 का पाया गया इसी कारण रेस्पो0 के हक में खातेदारी दर्ज की गई थी । जमाबंदी संवत् 2011 में खसरा नंबर 463 व 472 पर राधे शिकमी काश्तकार दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2010 लगायत 2013 में उपकृषक दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013 में उपकृषक के कॉलम संख्या 6 में राधे का नाम दर्ज है परन्तु विशेष विवरण के कॉलम संख्या 40 में सुखा बतौर गैर मौरूसी दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2016 एवं 2018 से 2019 में सुखा पुत्र राधे का नाम दर्ज है । इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात कभी भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं रही है जबकि रेस्पो0 का नाम दर्ज है । अपीलांट/वादीगण का पिता राधे संवत् 2020 में ही फौत हो गया था तथा उसने अपने जीवनकाल में कभी भी वादग्रस्त आराजियात बाबत् वाद पेश नहीं किया । राधे की मृत्यु उपरांत वादीगण/अपीलांटस ने रेस्पो0 की आराजियात को हड़पने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है । सुखा वल्द राधे को राधे की मृत्यु पूर्व ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0/प्रतिवादी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

व डिक्री को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, बयाना जिला भरतपुर के समक्ष प्रतिवादी सुखा पुत्र राधे के विरूद्ध ग्राम पिचूना तहसील रूपवास अवस्थित आराजी खसरा नंबर 463 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 472 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नंबर 2301 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा बाबत् वाद पेश कर कथन किया कि उपरोक्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज राधे की छोड़ी हुई कृषि भूमियां है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/5, वादी संख्या 2 का 1/5, वादी संख्या 3 लगायत 7 का 1/5, वादीगण संख्या 7 लगायत 10 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । किन्तु परिवार में प्रतिवादी संख्या 1 बड़ा था जिसने संपूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करा ली है । अतः वाद में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री किया जावे । विचारण न्यायालय ने उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित कुल 7 तनकीयात कायम करते हुए यह निर्णय पारित किया कि वादीगण संख्या 3 लगायत 7 को 1/5 भाग के बहिस्सा बराबर, वादीगण संख्या 7 लगायत 10 को 1/5 भाग के बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 3/5 भाग का विवादित आराजी खसरा संख्या 463 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 472 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 2301 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा ग्राम पिचूना तहसील रूपवास के खातेदार काबिज काश्तकार घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23–03–2002 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2013 में उपकृषक के कॉलम नंबर 6 में राधे की काश्त दर्ज है तथा विशेष विवरण एवं अधिकारी

आधिपत्य भूमिकर तथा राजस्व में परिवर्तन के कॉलम नंबर 40 में सुखा वल्द राधे गैर मौरूसी दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2016 में सुखा पुत्र राधे गैर मौरूसी दर्ज है, खसरा गिरदावरी संवत 2018 लगायत 2019 एवं जमाबंदी संवत 2016 लगायत 2019 में एवं जमाबंदी संवत 2039 से 2042 में सुखा वल्द राधे खातेदार काश्तकार दर्ज है। राधे की मृत्यु संवत 2020 में होना बताया है। अतः सुखा वल्द राधे को, राधे की मृत्यु से पूर्व ही भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। रिकार्ड के अवलोकन से यह साबित नहीं है कि पहले विवादित आराजी का राधे खातेदार हो व बाद में सुखा के नाम आई हो। अतः विवादित आराजी पैतृक आराजी नहीं कही जा सकती। रामा व लालाराम ने दिनांक 21–5–87 को प्रस्तुत राजीनामा में यह कथन किया कि विवादित आराजी पर हमारा कोई हिस्सा नहीं है ना ही हम खातेदार हैं। यह आराजी पिता की छोड़ी हुई नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अंकित किए गए कथनों से यह जाहिर है कि राधे की भूमि में सभी पुत्रों का तभी ही अधिकार माना जा सकता है जब राधे के नाम विवादित आराजी संवत 2012 व इससे पूर्व हो। प्रस्तुत प्रकरण में राधे की मृत्यु संवत 2020 में होना जाहिर है तथा संवत 2020 से पूर्व ही विवादित आराजी सुखा वल्द राधे के नाम दर्ज रिकार्ड की गई है। अपीलांटस द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर है कि सुखा पुत्र राधे के पूर्वजों के नाम विवादित आराजी पुराने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जिससे कि विवादित आराजी को पैतृक भूमि माना जा सके।

8– रामा एवं लालाराम द्वारा विवादित आराजी में हिस्सा नहीं होना कथन किया है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित आराजी सुखा के कब्जे काश्त में है तथा वह उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। अतः पत्रावली के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी सुखा वल्द राधे की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। राधे के दूसरे पुत्रों का इस आराजी पर कोई हक व हिस्सा नहीं है। राधे की मृत्यु से पूर्व ही सुखा वल्द राधे के खातेदारी में विवादित भूमि दर्ज रिकार्ड की जा चुकी है। उपखण्ड अधिकारी, बयाना ने अपने निर्णय दिनांक 15–4–93 में बिना समुचित राजस्व रिकार्ड के गलत व्याख्या करते हुए राधे के सभी पुत्रों के नाम हिस्सा दिये जाने की घोषणा की है, जो विधि के विपरीत होने से अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विवादित आराजी सुखा पुत्र राधे की खातेदारी

की आराजी माना है तथा सुखा का नाम राधे के जीवित रहते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका था ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी पुश्तैनी एवं राधे की नहीं मानते हुए अपना निष्कर्ष अंकित किया है, जिसमें प्रथमदृष्टया दिखाई देने वाली तथ्यात्मक एवं कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होती है। हमारी विनम्र राय में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय उपलब्ध राजस्व रिकार्ड की दृष्टि से न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें हम द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

9— परिणामतः **अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2002 को यथावत् रखा जाता है।**

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य